न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या 17/2014 अपील (राजस्व)

1. श्री भेरूलाल पिता स्व. श्री दुदाजी डांगी, निवासी भुवाणा जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री जगन्नाथ पिता स्व. श्री दुदाजी डांगी, निवासी भुवाणा जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री खेमराज पिता स्व. श्री दुदाजी डांगी, निवासी भुवाणा जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री पुष्कर पिता श्री वरदीचन्द जी डांगी निवासी भुवाणा जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती परताबाई पत्नि स्व. श्री दुदा जी डांगी, निवासी भुवाणा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री वरदीचन्द पिता स्व. श्री दुदाजी डांगी, निवासी भुवाणा जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्टगण**

बनाम

1. श्रीमती ममता पत्नि श्री लोकेश डांगी निवासी डांगलियों की मगरी, भुवाणा जिला उदयपुर (राज.)
2. तहसीलदार बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बड़गॉव दिनांक 23.05.2013 बमुकदमा नम्बर 24/2012 नामान्तरकरण

उपस्थित : श्री रोशनलाल जैन, अधिवक्ता अपीलान्टगण
श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण

निर्णय

दिनांकः—.....

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गॉव द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.05.13 में मौजा भुवाणा में स्थित आराजी नम्बर 1914, 1923, 1930 से 1933, 1936 से 1939, 1992 से 1997 कुल किता 16 रकबा 2.9900 हैक्टर एवं आराजी संख्या 2022 रकबा 0.5800 हैक्टर भुमि स्थित हैं जिसके विरासत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश रेस्पोडेंट ममता के प्रार्थना पत्र पर दिये जाने से नाराज होकर अपीलार्थीगणों द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.05.13 में अपीलान्ट पक्ष को सुनवाई कर पर्याप्त एवं न्यायोचित अवसर नहीं दिया गया। साथही जैर अपील पारीत करने में अधिकारीता से परे कार्य किया गया हैं। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशो के विपरीत निर्णय पारित किया गया हैं। अपीलार्थी पक्ष की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया जाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत कृत्य किया हैं। दिनांक 08.01.13 की पेशी पत्रावली में तहसीलदार गिर्वा के समक्ष थी। उसके बाद देखने रेकार्ड से प्रकट होता है कि पत्रावली तहसीलदार बड़गॉव के न्यायालय में हस्तान्तरित हो गयी। किन्तु पत्रावली हस्तान्तरण की कोई सूचना अपीलार्थी पक्ष को नहीं दी गई। इस प्रकार Transfree Court द्वारा अपीलार्थीगणों को बिना सुने विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य हैं। अपीलार्थी पक्ष को पेशी की सूचना कई दिनो तक नहीं मिलने पर अपीलान्ट जगन्नाथ व पुष्कर दिनांक 28.06.13 को तहसीलदार बड़गॉव के कार्यालय में गये तो उस दिन ज्ञात हुआ कि इस मामले में तो दिनांक 23.05.13 को निर्णय हो गया हैं। उसी दिनांक को सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 28.06.13 को नकले प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 01. 07.13 को तारीख ज्ञान से अन्दर अपील प्रस्तुत की गई हैं। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा न्यायहित में रेस्पोडेंटपक्ष को सुने जाने व अपीलान्ट पक्ष के गवाहान से जिरह करने का मौका देने के निर्देश दिये गये। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार से कार्यवाही की गई जैसे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अजसरे नई कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि रेस्पोडेंट पक्ष को गवाहो से जिरह का अवसर दिया जावें। पॉच गवाहो के बयान रिकार्ड किये जा चुके थे। जिनसे रेस्पोडेंट पक्ष द्वारा जिरह की जा सकती थी। किन्तु रेस्पोडेंट पक्ष द्वारा तत्सम्बन्धि कोई ईच्छा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जाहीर नहीं की। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया के प्रार्थना पत्र पर समस्त अपीलार्थीगणों की भी तलबी नहीं की गई। अपीलार्थी संख्या 1 से 4 जिसमें पुष्कर भी शामिल है एवं जिसके भी पक्ष मे वसीयत है पुष्कर एक व्यथित व्यक्ति हैं। जिसकी ओर से प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर मौजुद है किन्तु उसे भी कोई सुचना पत्र जारी नहीं किया गया। रेस्पोडेंटगणो द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय

के समक्ष महत्वपुर्ण तथ्यों को छिपाते हुए धोखे से आदेश जैर अपील प्राप्त किया गया हैं। जबकि स्वयं रेस्पोडेंट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुर में वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में एक वाद वास्ते घोषणा बंटवाड़ा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा हैं। जिसके मुकदमा नम्बर 209/07 होकर वर्तमान में हस्तान्तरित होकर न्यायालय ए.सी.एम. (फास्ट ट्रेक) गिर्वा में लम्बित है जिसके वर्तमान मुकदमा नम्बर 17/13 वाद हैं। जिसको जानबुझकर छिपाया गया हैं। रेस्पोडेंट ने उक्त वाद वादग्रस्त जमीन को सर्वप्रथम दुदा के पिता कुका की होने व कुका से दुदा के पास आने से मारूसी जायदाद होने व वादिया के कॉपार्सनर होने के आधार पर बंटवाड़ा व घोषणा के लिये पेश किया हैं। जिसका जवाब भी अपीलान्ट पक्ष द्वारा प्रस्तुत कर भूमि दुदा जी द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत से खरीदी जाना बताया हैं। विधि का सुसंस्थापित सिद्धांत है कि जब कोई खातेदार काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत वसीयतगृहिता को वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद खातेदारी अधिकार स्वतः उत्पन्न हो जाते है जिसके तहत अपीलान्टगण 1 से 4 इस भूमि के स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह अंकित किया है कि अपीलान्ट पक्ष द्वारा उपस्थिति नहीं दी गई। जवाब नहीं दिया गया। जबकि अपीलान्ट संख्या 1 से 4 द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने हेतु दिनांक 22.06.10 को प्रस्तुत कर दिया गया था जो कि स्वयं ही रेस्पोडेंट के प्रार्थना पत्र के जवाब व खण्डन की तारीफ में आता हैं। प्रस्तुत वसीयत एक पंजीकृत वसीयत हैं जो कि रेस्पोडेंट द्वारा रेग्यूलर वाद प्रस्तुत करने के करीब एक वर्ष पूर्व ही निष्पादित एवं पंजीकृत की जा चुकी थी। वसीयतकर्ता दुदा ने स्वयं रेस्पोडेंट का वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक नहीं होने का कथन उसके द्वारा प्रस्तुत जवाब में किया हैं। ऐसी स्थिति में वसीयत का संदिग्ध व फर्जी होने का प्रश्न ही नहीं होता हैं। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धांत के अनुसार जब तक यह साबित नहीं कर दे कि वसीयत फर्जी है उसके नाम पर 1/6 हिस्से से नामान्तरकरण नहीं हो सकता हैं। वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोला जाना आवश्यक हैं। नामान्तरकरण केवल विरासत के आधार पर ही खोला जा सकता हैं। नियम 132 भू अभिलेख नियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने का प्रावधान हैं। यदि रेस्पोडेंट इस वसीयत को फर्जी होना कहती है तो रेग्यूलर वाद में उसे यह साबित कराना होगा की वसीयत फर्जी हैं। जब तक ऐसा साबित ना हो तब तक वसीयत के आधार पर ही नामान्तरकरण खोला जाना आवश्यक हैं। रेस्पोडेंट द्वारा अपने आप को श्री किशनलाल की पुत्री होने के आधार पर नामान्तरकरण चाहा हैं। किन्तु वास्तव में रेस्पोडेंट को अपीलान्ट संख्या 2 जगन्नाथ ने श्री किशनलाल जी की मृत्यु के बाद करीब 6 माह की आयु में ही गोद लिया था। सभी सरकारी रेकार्ड में रेस्पोडेंट के पिता के रूप में अपीलान्ट जगन्नाथ का ही नाम हैं। अपीलान्ट जगन्नाथ ने ही उसकी शादि करायी। यह सारे कथन रेग्यूलर वाद में अंकित हैं। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.05.13 निरस्त फरमाया जावें

एवं विवादीत आराजीयात का नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर अपीलान्ट संख्या 1 से 4 के नाम पर करने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मयाद एवं धारा 151 जा.दी. का भी प्रस्तुत किया है जो शामिल पत्रावली हैं।

अपील अपीलार्थीगण दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रकरण मे प्रारंभिक आपत्ति, अपीलान्ट के अपील मेमो का जवाब, प्रार्थना पत्र धारा 5 का जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

रेस्पोडेंट द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश प्राकृतिक सिद्धांतो के अनुसार ही दिया गया हैं। अपीलार्थी पक्ष को प्रकरण की पूर्णतः जानकारी थी। तहसीलदार गिर्वा द्वारा आगामी पेशी तहसीलदार बड़गॉव न्यायालय में होने की तथा पक्षकारों को वहॉ उपस्थित होने की सूचना दे दी गई थी। इस क्रम में रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपनी उपस्थिति बड़गॉव तहसीलदार न्यायालय में दी गई व जिस बाबत सूचना दी जा चुकी हो वह पक्षकार की उपस्थिति में सूचना दे दी गई हो उसमें पुनः सूचना पत्र जारी किया जाना जरूरी नहीं है। अपीलान्ट पक्ष द्वारा दुर्भावनावश प्रकरण को निस्तारीत नहीं होने देने व लम्बा करने की गरज से जानबुझकर न्यायालय में अपनी उपस्थिती नहीं दी जा रही थी। अपीलान्टगणों का यह कहना कि दिनांक 28.06.13 को जगन्नाथ व पुष्कर तहसील कार्यालय बड़गॉव में जाने पर ज्ञात हुआ कि प्रकरण का निस्तारण हो गया यह लिखावट मनगढंत बनावटी हैं। महज अपील को मियाद के अन्दर लाने के लिये सोचसमझ कर लिखि गयी हैं। रेस्पोडेंट की ओर से दायर निगरानी याचिका निरस्त नहीं की गई बल्कि विड्रो की गई थी। अपनी अपील मेमो में यह कही पर भी नहीं लिखा है कि वह क्योकर तहसील कार्यालय बड़गॉव में गये। वास्तविकता यह है कि प्रकरण बड़गॉव तहसीलदार बड़गॉव में स्थानान्तरित होने की जानकारी उन्हें बहुत समय पहले से ही थी। रेस्पोडेंट की ओर से दायर निगरानी याचिका निरस्त नहीं की गई। बल्कि विड्रो की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण विरासत के आधार पर खोला जायेगा व वसीयत वाले को सक्षम न्यायालय में वसीयत के आधार पर दावा कर दाद हासिल करनी पड़ेगी के संबंध में पारित किया गया है जो विधि के अनुसार सही हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेज व रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत का पूर्णतया अवलोकन कर ही जैर निर्णय प्रदान किया गया है जो विधि सम्मत हैं। अपनी अपील मेमो में अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के विपरित बताया गया हैं। परन्तु किस प्रकार से विधि के विपरीत है इसका कही पर भी उल्लेख नहीं किया गया हैं। अपील मेमो में धारा 151 के प्रार्थना पत्र या उस पर पारित निर्णय के संबंध में कुछ नहीं कहा है नाही अपीलार्थीगण द्वारा धारा 151

के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब ही प्रस्तुत किया गया हैं। वादग्रस्त भुमि के संबंध में रेस्पोडेंट द्वारा एक वाद बाबत अपने हिस्से की घोषणा का प्रस्तुत कर रखा है परन्तु वह वाद दुदा जी की जीवित अवस्था में ही पेश कर दिया गया था। उसका मूल कारण यह था कि अपीलान्ट पक्ष द्वारा दूदा जी की जीवित अवस्था में भूमि का विक्रय करने पर आमादा थे एवं आधे से अधिक पक्ष को अपीलान्ट पक्ष द्वारा दुदा जी की बिमारी असाक्षरता व अनपढता का फायदा उठाते हुए उनसे अंगुठा लगवाकर विक्रय करवा दी एवं मुझ रेस्पोडेंट संख्या 1 का हिस्सा भी विक्रय करने पर आमादा थे। जबकि दूदा बा उमरदराज थे। उनको पैसो की कही आवश्यकता नहीं थी। उनकी ऐसी अवस्था का फायदा उठाते हुए अपीलान्ट जो मुझ रेस्पोडेंट संख्या 1 के अंकल है के द्वारा षड्यंत्रपुर्वक भूमि का विक्रय कर लिया व प्राप्त राशि आपस में बांट ली। इस कारण अपने हक व हिस्से की भूमि बाबत मुझ रेस्पोडेंट को घोषणा का वाद दायर करना पड़ा। परन्तु जैसे ही दुदा जी की मृत्यु हुई तथाकथित सम्पत्ति में मेरा अधिकार विरासत के आधार पर हो गया। परन्तु मुझे अपनी सम्पत्ति से वंचित करने हेतु अपीलान्ट द्वारा दुदा जी की वसीयत पेश कर दी जिसके बारे में विवाद हैं। व उसी वसीयत के आधार पर अपीलान्ट द्वारा उपजिलाधीश गिर्वा के यहॉ वाद दायर कर रखा हैं। इस वसीयत के आधार पर भूमि का हमे खातेदार बनाया जावें। जहॉ तक भूमि खरीद की बात है दुदा जी द्वारा अपने जवाब में यह कही नहीं बताया है कि भूमि उनकी खरीदशुदा है नाही अपने जवाब में किसी वसीयत का कोई जिक्र ही किया हैं। नाही भूमि संबंधित कोई दस्तावेज दुदाजी द्वारा पेश किये गये हैं। यदि अपीलान्ट द्वारा कोई दस्तावेज बनाकर पेश किये गये है तो वह न्यायालय में विचाराधीन दावे में साक्ष्य सबुत के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा तय किया जावेगा कि तथाकथित दस्तावेज सही है या गलत एवं तथाकथित कार्यवाही से नामान्तरकरण की कार्यवाही में कोई फर्क नहीं पड़ता हैं। कानुन के अनुसार मृतक व्यक्ति के नाम भूमि दर्ज नहीं रहेगी। वह नेचुरल वारीसान के नाम दर्ज की जावेगी। जो व्यक्ति वसीयत के आधार पर भूमि में अपना हिस्सा क्लेम करता है वो सक्षम न्यायालय से दावा कर अपने अधिकार तय करावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत वसीयतगृहिता को वसीयतकर्ता कि मृत्यु के बाद खातेदारी अधिकार तभी मिलते है जब वह वसीयत अविवादित हो। विवादीत वसीयत से किसी को भी खातेदारी अधिकार या सम्पत्ति में अधिकार नहीं मिलते हैं। वसीयत के लाभार्थी को उक्त वसीयत को सक्षम न्यायालय में साबित कर अपने अधिकार तय करवाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिपरक सिद्धांतो के अनुरूप ही हैं। कोई भी दस्तावेज केवल मात्र पंजीयन हो जाने से सही नहीं हो जाता हैं। यदि उसके बारे में कोई विवाद है तो उसे सक्षम न्यायालय में साबित करवाना पड़ेगा। रेस्पोडेंट संख्या 1 किशनलाल जी की पुत्री हैं। जगन्नाथ उसके अंकल हैं। केवल मात्र अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेंट की सम्पत्ति हड़पने बाबत षड्यंत्र किया गया हैं। अपीलान्ट की नाबालिग अवस्था में यदि जगन्नाथ द्वारा किन्ही दस्तावेजो में रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता किशनलाल की जगह स्वयं का नाम लिखवा दिया हो तो उससे रेस्पोडेंट संख्या 1 जगन्नाथ की पुत्री नहीं हो जाती।

अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.13 पूर्णतया विधि के प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया हैं। अपीलान्ट द्वारा मनगढंत आधारो पर यह अपील विधिक प्रावधानों के विपरीत पेश कि गयी हैं जो खारीज योग्य होने से खारीज किया जाना फरमावें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानुन एवं धारा 151 जा.दी. का जवाब प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट द्वारा निवेदन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के तहत ही निर्णय पारित किया गया हैं। पूर्व में उक्त पत्रावली तहसीलदार गिर्वा के यहॉ अवश्य चल रही थी। परन्तु जब पत्रावली तहसीलदार बड़गॉव को भेजी गई उसके पहले दोनो पक्षो को सुचित कर दिया गया था कि आगामी पेशी तहसील बड़गॉव में होगी। इसी कारण रेस्पोडेंट द्वारा नियत दिनांक को तहसील कार्यालय बड़गॉव में अपनी उपस्थिति दी गई एवं जो आदेश पारित किया वह विधिपरक हैं। आगामी तारीख पेशी तहसील बड़गॉव में होगी की सूचना दिये जाने के बाद में नये सीरे से सुचना देने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारीज कराना फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील मेंमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगणों को बिना सुने ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर विधिक भूल की हैं। अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया हैं। दिनांक 08.01.13 की पेशी तहसीलदार गिर्वा के समक्ष हुई थी परन्तु बाद में तहसीलदार बड़गॉव को पत्रावली स्थानान्तरित कर दी गई इसकी कोई भी सूचना अपीलार्थीगणों को नहीं थी। दिनांक 05.03.13 को न्यायालय तहसीलदार गिर्वा में अपीलार्थीगणों द्वारा उपस्थिति दी गई वहॉ बताया कि आगामी प्रकरण में आगामी सुनवाई तहसीलदार बड़गॉव के यहॉ से होगी परन्तु तहसीलदार बड़गॉव के यहॉ से कोई भी तारीख पेशी की सूचना अपीलार्थी पक्ष को प्राप्त नहीं हुई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं का अवलोकन करना फरमावें। कही पर भी तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपनी आदेशिका में यह नहीं लिखा गया है कि आगामी तारीख पेशी तहसीलदार बड़गॉव के यहॉ होगी। नाही तहसीलदार बड़गॉव द्वारा अपनी आदेशिका में यह कही अंकित किया है कि प्रकरण तहसीलदार गिर्वा से बाद हस्तान्तरण प्राप्त हुआ हैं। इस प्रकार से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुने ही एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया हैं। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि रेस्पोडेंट पक्ष को गवाहो से जिरह का अवसर दिया जावें। पॉच गवाहो के बयान रिकार्ड किये जा चुके थे जिनसे रेस्पोडेंट पक्ष द्वारा जिरह की जा सकती थी। किन्तु रेस्पोडेंट पक्ष द्वारा तत्सम्बन्धी कोई ईच्छा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जाहीर नहीं की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड का अवलोकन ही नहीं किया गया। माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए धोखे से आदेश जैर अपील प्राप्त किया गया। स्वयं रेस्पोडेंट द्वारा एक वाद अपीलान्टगणो के विरूद्ध इसी विवादीत भूमि बाबत घोषणा एवं बंटवाड़े का उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जो

बाद में हस्तान्तरित होकर न्यायालय ए.सी.एम. (फास्ट ट्रेक) गिर्वा में लम्बित होकर मुकदमा नम्बर 70/13 वाद दर्ज होकर जैर पेडिंग हैं। उक्त वाद में रेस्पाडेंट द्वारा जमीन को सर्वप्रथम दूदा के पिता कुका की होने व कुका से दुदा के पास आने से मारूसी जायदाद होने व वादिया को कॉपार्सनर होने के आधार पर बंटवाड़ा एवं घोषणा के लिये पेश किया हैं। जिसका जवाब भी अपीलार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया हैं। रेग्यूलर वाद में जब रेस्पोडेंट के हक के बाबत विवाद लम्बित है तथा दुदा द्वारा इस वाद के लम्बे अर्से पूर्व ही वसीयत नामा निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया तो वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत वसीयतगृहिता को वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद खातेदारी अधिकारी स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह अंकित किया है कि अपीलान्ट पक्ष द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जबकि दिनांक 22.06.10 को वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु निवेदन अधिनस्थ न्यायालय में कर दिया गया है जो रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की तारीफ में आता हैं। प्रस्तुत वसीयत एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसे वसीयतकर्ता दुदा ने स्वयं रेस्पोडेंट का वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक नहीं होने का कथन उसके द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में किया हैं। ऐसी स्थिति में वसीयत संदिग्ध होने का कोई प्रश्न ही नहीं हैं। यदि रेस्पोडेंट वसीयत को फर्जी मानती है तो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धांत के अनुसार यह साबित नहीं कर दे कि वसीयत फर्जी है उसके नाम पर 1/6 हिस्से से नामान्तरकरण नहीं हो सकता हैं तथा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोला जाना आवश्यक हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुचना दिये आदेश पारित कर दिया जो हमारी अनुपस्थिति में दिया गया है जो अपास्त योग्य हैं। साथ में धारा 5 अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर उसमें तथ्यों पर बहस कर निवेदन किया कि अपील को मियाद में मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरसत किया जावें। अपीलान्ट संख्या 1 से 4 के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। साथही अपनी बहस में निवेदन किया कि स्वर्गीय दुदाजी द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति क्रय कर ली गई हैं। यह सम्पत्ति उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति थी। इस सम्पत्ति का उन्हे दान, देह, बक्षीस करने का पूर्ण अधिकार था। इसी अधिकार के तहत उनके द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत पत्र दिनांक 29.11.06 से इस सम्पत्ति को अपीलार्थीगणो के नाम वसीयत की गई। अपनी अपील की कॉलम संख्या 6 से 12 तक की कलमो में वर्णित ईबारत को अपनी बहस में बताया और अपनी बहस की ताईद में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या निगरानी/एल.आर./8724/2006/उदयपुर निर्णय दिनांक 28.07.2015, आर आर टी 2001 (2) पेज 990, आर आर डी 2002 पेज 280 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थीगण के कथनो का खण्डन करते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो

निर्णय दिया गया है उसकी सूचना अपीलार्थीगण को पूर्व से ही थी। क्योंकि जब पत्रावली बड़गॉव तहसीलदार को स्थानान्तरित की गई उसके पूर्व ही दोनो पक्षो को सुचित कर दिया गया है था कि आगामी पेशी तहसील बड़गॉव में होगी। नियत पेशी दिनांक को तहसील बड़गॉव में रेस्पोडेंट द्वारा अपनी उपस्थिति दी गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया वह सही हैं। अपीलान्ट द्वारा धारा 5 में जो कथन किये गये है वह मनगढंत कथन है जो केवल अपील को मियाद के अन्दर लेने के संबंध में मिथ्या कथन कहे गये हैं। इस कारण अपील मियाद बाहर होने से खारीज फरमायी जावें एवं मेरिट पर बहस कि की अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतो के अनुरूप ही निर्णय दिया गया है जो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्देशों व निर्णय की पालना में किया गया हैं। अपीलान्ट को प्रकरण की पुर्ण जानकारी थी। दिनांक 08.01.13 को न्यायालय तहसीलदार गिर्वा में दोनो ही पक्ष उपस्थित हुए थे। तहसीलदार द्वारा दोनो पक्षो को सूचित किया गया था कि आगामी पेशी तहसीलदार बड़गॉव के यहॉ होगी। उक्त सूचना प्राप्त होने के संबंध में दोनो ही पक्षो से फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर लिये गये। अपीलान्टगण को प्रकरण से संबंधित सारी जानकारी थी। परन्तु जानबुझकर तहसीलदार बड़गॉव के कार्यालय में अपीलान्टगण उपस्थित नहीं हुए। उस दिन रेस्पोडेंट संख्या 1 तहसील कार्यालय बड़गॉव में उपस्थित हुई। इस कारण यह स्पष्ट है कि अपीलान्टगण को पेशी की पूर्ण जानकारी थी लेकिन वे लोग प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहते थे इस कारण प्रकरण को लम्बा करने के उद्धेश्य से जानबुझकर उपस्थित नहीं हुए एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हे कई मौके दिये जाने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय प्रदान किया गया है उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं हैं। दिनांक 28.06.13 को जगन्नाथ व पुष्कर तहसील बड़गॉव में मात्र इसलिये गये कि उनको प्रकरण की पूरी जानकारी पूर्व से ही थी। परन्तु इसका स्पष्टीकरण अपनी अपील मेमो में नहीं किया है। महज अपील को मियाद के अन्दर लाने के लिये यह गलत कथन अपीलान्टगण द्वारा लिखे गये हैं। अपीलान्टगण द्वारा अपनी अपील की कलम संख्या 6 से लगाकर अन्त तक जो कथन किये गये है वह केवल अधिनस्थ न्यायालय के फर्द अहकाम पर कहे गये है जिसका धारा 151 के प्रार्थना पत्र से कोई लेना देना नहीं हैं। फर्द अहकाम अपने आप में एक अलग आदेश है जिसकी कोई अलग से अपील या निगरानी अपीलान्ट द्वारा नहीं की गई हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा तो केवल मात्र यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया था कि नामान्तरकरण कानुन के अनुसार विरासत के आधार पर खोला जावेगा व वसीयत वाले को सक्षम न्यायालय में दावा कर दाद हासिल करनी पड़ेगी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 151 के प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नजीरो का अवलोकन कर विरासत के आधार पर जो आदेश दिया है वह सही हैं। आदेश दिनांक 23.05.13 के विरूद्ध अपील पेश की गई है कि उक्त निर्णय विधि के विपरीत है परन्तु अपनी अपील मेमो में किस प्रकार उक्त निर्णय विधि विरूद्ध है इसका वर्णन व विवेचन कही पर भी नहीं किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के बाद अपीलान्ट द्वारा ए.सी.एम. (फास्ट ट्रेक), गिर्वा के यहॉ एक नियमित

वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि कथित वसीयत के आधार पर हमे खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। जिसे ए.सी.एम. (फास्ट ट्रेक), गिर्वा द्वारा इस आधार पर खारीज कर दिया कि वसीयत सही है या गलत निर्णय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है वह अपीलान्टगण सक्षम सिविल न्यायालय से वसीयत के संबंध में अपने हित व अधिकार तय करावें। निर्णय की प्रति प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत वसीयतगृहिता को वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात खातेदारी अधिकार तभी मिलते है जब वसीयत अविवादीत हो। केवल मात्र वसीयत के रजिस्टर्ड हो जाने से उसको संदिग्ध नहीं माना जावे ऐसा कोई कानुन नहीं हैं। किसी भी खातेदार की मृत्यु होने के पश्चात् उसकी खातेदारी भूमि विरासत के आधार पर प्राकृतिक वारीसान में निहित होती है तथा उक्त भूमि का नामान्तरकरण प्राकृतिक वारीसान के मध्य ही खोला जाता हैं। और यदि कोई व्यक्ति तथाकथित भूमि पर वसीयत के आधार पर क्लेम करता है तो उसके सक्षम न्यायालय में प्राकृतिक वारीसान के विरूद्ध दावा कर वसीयत को सक्षम न्यायालय में सही करानी होगी। अपने बहस के समर्थन में आरआरटी 2014 (1) पेज 196, आरआरडी 2008 (एच.सी.) पेज 186, आर आर डी 2005 पेज 87, आर आर टी 2003 (1) पेज 495, आर बी जे 2004 पेज 611, 515, वसीयत के सिद्धांत, आर आर टी 2014 (1) पेज 218, आर आर टी 2009 (2) पेज 988, आर आर टी 2009 (1) पेज 376, आर बी जे 2008 पेज 68, आर बी जे 2012 पेज 745, आर आर टी 2008 (1) पेज 131, आर आर टी 2008(।।) पेज 936, आर आर टी (1) पेज 567, आर बी जे (22) 2015 पेज 412 के दृष्टांत पेश किये गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन करने एवं बहस पर मनन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि प्रकरण को मियाद के बिन्दु पर निर्णित नहीं किया जाकर मेरीट के आधार पर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित हैं। प्रकरण में रेस्पोडेंट द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 07.06.10 को अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि मौजा भुवाणा में स्थित आराजी नम्बर 1914, 1923, 1930 से 1933, 1936 से 1939, 1992 से 1997 कुल किता 16 रकबा 2.9900 हैक्टर एवं आराजी संख्या 2022 रकबा 0.5800 हैक्टर भुमि स्थित हैं। उक्त भूमि दूदा पिता कुका के खातेदारी में दर्ज थी जो रेस्पोडेंट के दादाजी थे जिनका स्वर्गवास दिनांक 19.05.10 को हो गया। दुदा जी के विधिक वारीसानों में उनकी पत्नि परताबाई, पुत्र भेरूलाल, पुत्र वरदीचन्द्र, पुत्र जगन्नाथ, पुत्र खेमराज, पुत्र किशनलाल (फौत) रेस्पोडेंट ममता किशनलाल की पुत्री होकर दादाजी दुदाजी की मृत्यु के पश्चात उक्त विवादीत भूमि विरासत के आधार पर 1/6, 1/6 हिस्सा 6 वारिसानो के मध्य में विरासत के आधार पर दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र के साथ में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज किया जाकर पक्षकारानो को विधिवत सुना गया। उपस्थित अपीलार्थीगणों द्वारा तहसीलदार गिर्वा को दिनांक 22.06.10

को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त आराजीयात कृषि भुमि को दिनांक 29.11.06 को अपीलार्थी संख्या 1 से 4 के पक्ष में दुदाजी द्वारा अन्तिम ईच्छापत्र (वसीयतनामा) सम्पादित कर दिया गया हैं। अतः भुमि का नामान्तरकरण अपीलार्थीगणों के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा बहस में यह कथन किये गये थे कि वसीयत रजिस्टर्ड है उसके आधार पर नामान्तरकरण खोलना चाहिये। जो वसीयत स्वर्गीय दुदा जी द्वारा की गई है वह भुमि दुदा जी द्वारा दिनांक 27.01.53 को पुरूषोत्तम पिता जगन्नाथ जी नागर निवासी शहर ढिकाना गणगोरघाट से क्रय कर ली गई। मुल विक्रय पत्र भी वक्त बहस प्रस्तुत किया गया। यदि वसीयत के बारे में कोई विवाद करता है तो वह सक्षम न्यायालय में वसीयत को खारीज कराने की कार्यवाही करें। इसके संबंध में रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि मात्र वसीयत रजिस्टर्ड हो जाने से ही सही नहीं हो जाती हैं। यदि वसीयत के संबंध में विवाद है तो वसीयतगृहिता को सक्षम न्यायालय में कानुनी प्रावधानो के तहत उसे साबित कराना आवश्यक हैं।

विवादीत प्रकरण में विवादीत भूमि स्वर्गीय दुदाजी द्वारा क्रय कर ली गई हैं एवं उनके द्वारा अपने जीवनकाल में विवादीत भुमि बाबत रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 29.11.06 से अपीलार्थीगणो के नाम सम्पादित किया गया हैं। उक्त वसीयतनामा पंजीकृत है तथा इस वसीयतनामे को किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती दी हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे वसीयतनामे को गलत नहीं कहा जा सकता हैं।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में वसीयतकर्ता श्री दुदा जी द्वारा सम्पत्ति किस प्रकार प्राप्त की गई है या उन्हे यह सम्पत्ति कैसे मिली हैं। श्री दुदाजी को विवादीत भुमि की वसीयत करने का अधिकार था या नहीं। क्या यह भुमि उनकी पैतृक थी अथवा स्वअर्जित जिसका विवेचन नहीं किया गया हैं। साथही इस सम्पत्ति के बॅटवाड़े बाबत वाद भी न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक गिर्वा में प्रकरण संख्या 70/13 से विचाराधीन हैं। जिसका भी उल्लेख अपने निर्णय में नहीं किया गया हैं।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पारित आदेश में यह उल्लेख किया है कि नामान्तरकरण की प्रकिया तो केवल मात्र फिक्सल प्रोसिडिंग हैं। इसमें पक्षकारो के अधिकार तय नहीं होते हैं। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगणो से वसीयत के संबंध में साक्ष्य नहीं ली गई एवं प्रार्थीया प्रस्तुत वसीयत को फर्जी व संदिग्ध बताती है उसका भी कोई ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगणो को बिना सुने उनकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पारित आदेश में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या रिवीजन/एल.आर./3463/2011/उदयपुर में पारित आदेश दिनांक 03.10.12 में दिये गये निर्देशो की पालना भी नहीं की गई हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशानुसार पालना की जाना आवश्यक था।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गॉव द्वारा अपने प्रकरण संख्या 24/12 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.13 को अपास्त किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गॉव को प्रकरण पुनः ऑब्जर्वेशन की रोशनी में प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षकारानो को पुनः सुनकर एवं साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाकर पत्रावली का निर्णय नये सीरे से गुणावगुण पर पारित करें।

निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली पुनः अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर